

निःशुक्त संतान की आय कम होने पर जीवन भर पेंशन देगी राज्य सरकार

चर्चा में क्यों?

15 जून, 2022 को राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की निःशुक्त संतान जीवन भर पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी।

प्रमुख बिंदु

- राज्य शासन ने राज्य सरकार के सेवानवृत्त या मृत कर्मचारियों व पेंशनरों की मानसिक या शारीरिक निःशुक्तता से ग्रस्त संतान को पारिवारिक पेंशन के संबंध में आय के मानदंड तय किये हैं।
- आदेश के अनुसार यदि निःशुक्त संतान की समग्र आय साधारण दर पर स्वीकार्य पारिवारिक पेंशन व उस पर स्वीकार्य महंगाई राहत से कम है तो उसे यह लाभ मलिंगा।
- ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ इस शासनादेश के जारी होने की तथिसे देय होगा और सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी या पूर्व पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख से शुरू होने वाली अवधि के लिये कोई बकाया स्वीकृत नहीं होगा।